

07.11.2023:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित। मूल वादपत्र राजीनाम अनुसार खारिज
हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष
नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण
प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफतर हो।

